

प्रेषक :- जिला निर्वाचन पदाधिकारी  
-सह-  
जिला पदाधिकारी, सहरसा।

सेवा में,  
सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी  
सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, सहरसा।

विषय :- सहरसा, दिनांक 09 अप्रैल, 2015 ई०।  
निर्वाचक सूची की गुणवत्ता (दोहरी प्रविष्टि का नियमानुसार विलोपन एवं त्रुटियों का निराकरण) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रारंभ किये गए राष्ट्रीय निर्वाचक नामावली परिशोधन एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम (NERPAP) के क्रियान्वयन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विभागीय पत्रांक 1125 दिनांक 25.03.2015 जिसकी प्रति इस कार्यालय के ज्ञापांक 181 दिनांक 30.03.2015 द्वारा आपको भेजी गई है का स्मरण करें। भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार दिनांक 12.04.2015 को विशेष शिविर का आयोजन प्रत्येक मतदान केन्द्र पर किया जाना है। उक्त विशेष शिविर का व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु एक वाहन का उपयोग करेंगे तथा प्रचार-प्रसार में आम लोगो को लॉउडस्पीकर के माध्यम से निम्न जानकारी देना सुनिश्चित करें।

भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार सभी मतदाताओं से अपील है कि वे अपना आधार कार्ड का नं०, मोबाईल नं० एवं ई-मेल आई-डी अनिवार्य रूप से बी०एल०ओ० के माध्यम से दिनांक 12.04.2015 को सभी मतदान केन्द्रों में आयोजित विशेष शिविर में जमा कराना सुनिश्चित करें।

इस विशेष शिविर में जिन मतदाताओं का नाम एक से अधिक मतदान केन्द्रों पर है वे अपना नाम एक जगह छोड़कर अन्य मतदान केन्द्र में अपना नाम विलोपित करने हेतु प्रपत्र-7 बी०एल०ओ० को जमा करेंगे। यदि मतदाताओं का नाम एक से अधिक जगह पर पाया जाता है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धारा के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जिन मतदाताओं के प्रविष्टि में सुधार की आवश्यकता हो वे प्रपत्र-8 में एवं जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है वे प्रपत्र-6 में आवेदन बी०एल०ओ० को जमा कर सकते हैं।

विश्वासभाजन

जिला निर्वाचन पदाधिकारी

-सह-

जिला पदाधिकारी, सहरसा।

सहरसा, दिनांक 09 अप्रैल, 2015 ई०।

ज्ञापांक 201/निर्वा०

प्रतिलिपि :- सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहरसा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि दिनांक 12.04.2015 को होने वाले विशेष शिविर का अनुश्रवण स्वयं करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी

-सह-

जिला पदाधिकारी, सहरसा।